

सक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

Office of
Diary No. 1041
Date.....11/5/10

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 2010

विषय:- वेतन सगिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1632/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगी। दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के पदधारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरूप, दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में रु० 8000-13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक ही प्रभावी पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रामझी जायेगी। शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1314/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का प्रुस्तर-4 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(i) ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 18 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोंनयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे :-

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोंनयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर

AROKK

HCCRK

12/5/10
DIG (Telecom) HQ
12/5/10

A ROKK
12/5/10

CRK

DIG (Telecom) HQ

Vijay
12/5/10

DIG (Telecom) HQ

IG/DIR. (Telecom)

DIG (Telecom) HQ

Vijay
11/5/10

11/5/2010

उच्चकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चकृत वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन देय होगा।

परन्तु,

यदि सम्बन्धित कार्गिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के पूर्व अथवा उसके पश्चात् प्राप्त हो जाती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर ही प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य होगा। सम्बन्धित पद पर रहते हुए उक्तानुसार द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ अनुमन्य होगा।

(ii) किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन मिलने पर ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभों की अनुमन्यता हेतु नान फंक्शनल वेतनमान/ग्रेड वेतन को वित्तीय स्तरान्णयन माना जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नान फंक्शनल वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(iii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरान्णयन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iv) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्गिक को वित्तीय स्तरान्णयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरान्णयन पर भी पड़ेगा। अर्थात् अगले वित्तीय स्तरान्णयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरान्णयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(v) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात् संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में वित्तीय स्तरान्णयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन

वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरान्वयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु,

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए०सी०पी० की व्यवस्था से लाभान्वित किसी कनिष्ठ कार्गिक से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्गिक का वेतन कनिष्ठ कार्गिक के बराबर कर दिया जायेगा।

(vi) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरान्वयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही विचार किया जायेगा एवं सम्बन्धित लाभ देय तिथि से ही अनुमन्य कराया जायेगा।

(vii) ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्वयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(viii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपकरण एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरान्वयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरान्वयन के रूप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन, शासनादेश संख्या-वे०आ०-२-१३१८/दस-५९(एम)/२००८, दिनांक ०८ दिसम्बर, २००८ के संलग्नक "अ" पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-५ के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से, अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरान्वयन के रूप में प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में संबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा।

(4) यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था शासनादेशों अथवा सेवा नियमावली के माध्यम से लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए०सी०पी० की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में संवर्ग नियंत्रक प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होंगी।

- (5) वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रारिथिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा-नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरान्तरण के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।
- (6) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अंतर्गत स्तरान्तरण के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं तत्कम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।
- (7) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरान्तरण पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।
- (8) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरान्तरण अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरान्तरण वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरान्तरण की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (9) ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरान्तरण उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरान्तरण का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(10) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंनयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए०सी०पी० के अंतर्गत देय वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(11) पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए०सी०पी० की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही रजिस्टर में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोंनयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2- समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा की गयी व्यवस्था एवं जारी निर्देश दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी यथावत् लागू रहेंगे। पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये जायेंगे :—

(1) 08 वर्ष एवं 19 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बन्धित पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बैंड वेतन+ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि को अगले 10 रुपये में पूर्णांकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(2) (i) 14 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि को सम्बन्धित कार्मिक का वेतन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया जायेगा और बैंड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैंड वेतन यदि उस ग्रेड वेतन में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित न्यूनतम बैंड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित पदधारक का बैंड वेतन उस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा।

(ii) प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को ही देय होगी।

परन्तु,

प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी का मूल वेतन उसे यथा स्थिति पद के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में निर्धारित मूल वेतन की तुलना

में कम या बराबर हो जाये, तो यथा स्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुए मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जायेगा।

(iii) वेतन बैंड रू 0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू 5400/- तथा उससे उच्च वेतन बैंड अथवा ग्रेड वेतन के पदों पर समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर पूर्व उप प्रस्तर-2(ii) तथा 2(ii) में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(iv) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित कर्मचारी की पदोन्नति उक्तानुसार प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी का वेतन निर्धारण 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि देते हुए किया जायेगा। सम्बन्धित कर्मचारी को अगली सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी।

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि तक वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा।

(4) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में परिवर्तन होता है तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के अनुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा।

परन्तु,

उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। समयमान वेतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तदनुसार किया जायेगा। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत अनुमन्य रहेगा।

टिप्पणी :- उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक-1 पर उपलब्ध हैं।

3— पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) लागू किये जाने की तिथि दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के साधारण वेतनमान में है और उसे सम्बन्धित पद पर समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ अनुमन्य नहीं हुआ हो, तो ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी के उक्त धारित पद के सन्दर्भ में की जायेगी और ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय सभी लाभ उक्त आधार पर देय होंगे।

ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई समयमान वेतनमान/लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था में लाभ अनुमन्य किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि की गणना सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य समयमान वेतनमान/लाभ जिस पद के सन्दर्भ में अनुमन्य किया गया है उस पद के सन्दर्भ में की जायेगी। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 अथवा उसके उपरान्त निम्नानुसार अनुमन्य होंगे :—

- (1) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। किसी पद पर नान फंक्शनल वेतनमान मिलने पर ए0सी0पी0 की सेवा अवधि की गणना हेतु पूर्व आदेशों के अनुसार नान फंक्शनल वेतनमान इग्नोर किया जायेगा। ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अगले लाभ के रूप में नान फंक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
- (2) जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 04 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोंन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।
- (3) जिन्हें 24 वर्ष की सेवा के उपरान्त द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को सम्बन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा।

परन्तु,

दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोन्नतीय

वेतनमान/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के साधारण ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति अथवा प्रोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0रशी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

J4- वित्तीय स्तरोंन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

- 5- ✓ (1) वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्कीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्कीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्कीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्कीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।
- (2) स्कीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।
- (3) उक्त स्कीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी/वित्तीय स्तरोंन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।
- (4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त शारानादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2009 के क्रम में यदि स्कीनिंग कमेटी का गठन अभी तक नहीं किया गया है तो इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में स्कीनिंग कमेटी का गठन कर लिया जायेगा।
- (5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्कीनिंग कमेटी

जिन
है।

7-
होगी

8-
1318
संख्य
पुनरी
इस

संल

पृष्ठ
प्रति

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

6- ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।

7- ए0सी0पी0 की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

8- ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59एम/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1632/दस-59(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-वे0आ-2-561 (1)/दस-62एम/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-I एवं II तथा आडिट-I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरोद्व वित्त विभाग।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-वे0आ10-2-561 / दस-62(एम) / 2008, दिनांक 04 मई, 2010
का संलग्नक

उदाहरण-1

वेतनमान रु0 4000-6000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/-) के पद पर कार्यरत कार्मिक को 14 वर्ष की सेवा के आधार पर, उपर्युक्त पद हेतु उपलब्ध पदोन्नति के पद का वेतनमान रु0 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/-) अनुमन्य हुआ। तदोपरान्त पदोन्नति के पद का वेतनमान संशोधित करते हुए रु0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) का संशोधित/ उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य कराया गया। फलस्वरूप उपर्युक्त कार्मिक को पूर्व से स्वीकृत प्रोन्नतीय वेतनमान रु0 4500-7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/-) के स्थान पर, पदोन्नतीय पद के वेतनमान में संशोधन/ उच्चीकरण के दिनांक से संशोधित/ उच्चीकृत वेतनमान रु0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।

उदाहरण-2(I) :-

वेतनमान रु0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) के लिए पदोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 14 वर्ष के आधार पर प्रथम वैयक्तिक अगले वेतनमान के रूप में रु0 5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) अनुमन्य हुआ। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पद के वेतनमान तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य वेतनमान के लिए समान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप सम्बन्धित पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से 14 वर्ष के आधार पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में पद हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/- से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से प्रथम अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु0 5500-9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- अनुमन्य होगा।

उदाहरण-2(II)

इसी प्रकार वेतनमान रु0 5000-8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4200/-) के उपर्युक्त पद पर कार्यरत पदधारक को 24 वर्ष के आधार पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में रु0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/-) अनुमन्य हुआ। दिनांक 01 जनवरी, 2006 से उपर्युक्त पद पर प्रथम अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- अनुमन्य है। उक्त स्थिति में सम्बन्धित पद पर द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/- से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/- अनुमन्य होने की स्थिति बन रही है। फलस्वरूप उक्त कार्मिक को पूर्व से द्वितीय अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य रु0 6500-10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4600/-) के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अगला वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800/- अनुमन्य होगा।

उक्तानुसार अनुमन्य उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या-वे0आ0-2- 1318/दस-59(एम)/ 2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 तथा तत्कम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-561 / दस-62(एम) / 2008, दिनांक 04 मई, 2010
का संलग्नक

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरान्णयन में वेतन निर्धारण की प्रक्रिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 22 बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम-23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :---

- (1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात् 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरान्णयन के फलस्वरूप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरूप, यदि वित्तीय स्तरान्णयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन ₹0 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना ₹0 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना ₹0 103.00 पर की जायेगी।
- (2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :---

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया जायेगा। तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोड़ी जायेगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहाँ वित्तीय स्तरान्णयन

के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड में परिवर्तन हुआ हो वहाँ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहाँ वेतन बैंड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरान्धन के रूप में अनुमन्य उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम हो, तो तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोट:- यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरान्धन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। उदाहरण- किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरान्धन यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरान्धन किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। उदाहरण- किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरान्धन यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

प्रेमक,

वृन्दा शरण,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 22 दिसम्बर, 2011

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित करिबल प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये पुनर्गठित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान / ए0सी0पी0 की व्यवस्था, शासनादेश संख्या-वै0आ0-2-561/दस-62(एम) 2008 दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा करते हुए कतिपय विन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु शासनादेश संख्या-वै0आ0-2-3012/दस-62(एम)/2008 दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या-वै0आ0-2-798/दस-62(एम)/2008 दिनांक 30 मई 2011 निर्गत किया गया था। संवत् शारदादेशों द्वारा की गई व्यवस्था में ऐसे कार्मिक जो समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ वैयक्तिक रूप से प्राप्त कर रहे हैं, उनमें से पुनर्गठित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 से निम्न ग्रेड वेतन वाले पदों के पदधारकों (अपुनर्गठित वेतनमान रू0 8000-13500 से निम्न वेतनमान) को मिल चुके लाभ को समायोजित करते हुए ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 के प्रस्ताव-3 में इंगित है, परन्तु ग्रेड वेतन रू0 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन के पदों के पदधारकों के लिये स्पष्ट व्यवस्था/प्रावधानों का उल्लेख न होने के कारण स्वीकर्ता अधिकारियों द्वारा इनके लिये ए0सी0पी0 की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2008 अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की अपेक्षा की जा रही है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त संवर्ग में अरिष्ट कर्मचारी को प्रोन्नति पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरानुमन ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरानुमन से निम्न होने की स्थिति में, वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरानुमन कनिष्ठ को देय तिथि

री अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था किये जाने हेतु स्पष्टीकरण निर्गत किया जागा है।

2. उक्त संदर्भ में ऐसे पद/संवर्ग, जिनके लिये सम्यमान वेतनमान की सामान्य अथवा कोई विशिष्ट व्यवस्था लागू रही हो, के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 5400 एवं इससे उच्च ग्रेड वेतन वाले पदों के पदधारकों को ए०सी०पी० की नई व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2008 (अथवा उसके उपरान्त देय लाभ की अनुमन्यता के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है :-

(क). पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर 2008 को यदि कोई कर्मचारी धारित पद के आधार पर वेतनमान में है (चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा अथवा एक या एक से अधिक पदोन्नतियों प्राप्त कर उक्त धारित पद पर नियुक्त हुआ हो अथवा उच्च वैयक्तिक वेतनमान प्राप्त करने के उपरान्त उसी वेतनमान के मद्द पर प्रदोन्नत होकर तैनात हो), वो ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत आर्म्ड सेवा की गणना उक्त पद धारित करने की तिथि से करते हुए आरम्भ दिनांक 04 मार्च 2010 के प्रसार-1 की यथासंशोधित व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नत के लाभ अनुमन्य होंगे।

(ख). ऐसे पदधारक, जो दिनांक 01 दिसम्बर 2008 को सम्यमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत धारित पद से उच्च वैयक्तिक वेतनमान में कार्यरत हैं, उनके निम्नानुसार ए०सी०पी० के लाभ देय होंगे :-

(1). पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रु० 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कर्मिक, जिन्हें सम्यमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयवधि (08 वर्ष/अभियन्त्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 05 वर्ष/कतिपय मामलों में 06 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर 2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नत के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबंध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कर्मिक अनुमन्यता की तिथि तक वार्षिक रूप से धारित पद से किसी पद पर प्रदोन्नत न हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उक्त पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के संदर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(2). पुनरोक्षित बंधु संरचना में ग्रेड वेतन रू० 5400 अथवा इससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समावधि (14 वर्ष / अभिसन्धना एवं कनिष्ठ विशिष्ट संवर्गों के लिये 12/16/18 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर 2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर 2008 जो भी बाद में हो, से द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक उस धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो, जिस पर रहते हुए उसे द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के संवर्ग में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ग). ए०सी०पी० की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से तीन वित्तीय स्तरोंन्वयन अथवा तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त होने के पश्चात् किसी भी दर्रा में आगे वित्तीय स्तरोंन्वयन का लाभ देय नहीं है। उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत पुनरोक्षित वेतन संरचना में वेतन ग्रेड-3 एवं ग्रेड वेतन रू० 5400 से प्रारम्भ होने वाली सेवाओं के पदों प्रवर्धक जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 15 प्रतिशत प्रदो के सापेक्ष सेलेक्शन ग्रेड के रूप में ग्रेड वेतन रू० 8700 वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो चुका है, उन्हें सेवा में प्रवेश के पद से तीन वित्तीय स्तरोंन्वयन के समतुल्य लाभ अनुमन्य हो जाने के कारण ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत आगे कोई लाभ देय नहीं होगा।

3. किसी संवर्ग में वरिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन, कनिष्ठ कर्मचारी को ए०सी०पी० की व्यवस्था में प्राप्त वित्तीय स्तरोंन्वयन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किधुं ज्ञान हेतु समस्त चेत वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा-

संवर्ग में किसी कर्मचारी को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला वित्तीय स्तरोंन्वयन ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वित्तीय स्तरोंन्वयन से निम्न होने की स्थिति में, वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान वित्तीय स्तरोंन्वयन, कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंन्वयन की

654
nicmu

अनुमत्या की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से ए०सी०पी० के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्तरण के लिये अर्ह होता।

4. उपर्युक्त के सम्बन्ध में आगे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 के प्रस्तर-1 (7) एवं स्पाष्टीकरण शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर 2010 की तालिका के विन्दु-2 की व्यवस्था को उपर्युक्त कीमा तक संशोधित मानते हुए सम्बन्धित कार्रवाई को समयमान वेतमान / ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वित्तीय स्तरान्तरण की स्वीकृति दी जाय और यदि पूर्व में वित्तीय स्तरान्तरण की अनुमत्या में कोई त्रुटि हुई हो, तो उसकी निराकरण की कार्यवाही तदनुसार सुनिश्चित की जाय।

28

10-11

अवतीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव।

संख्या-ए०आई०पी०-2-2/3(1)/ए०आई०पी०-82(एम्)/2008, तद दिनांक।

- भित्तिपत्र लिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार लेखा एवं करदारी-I एवं II तथा आडिट-I एवं II, 30प्र० इलाहाबाद।
 2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यापत्त, उत्तर प्रदेश।
 3. प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
 4. महासंचालक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
 5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
 6. निदेशक, अधिष्ठाण पत्रादेशन वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
 7. समस्त मुख्य / वारिस कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 8. 30प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग / बुरला चेक अगभाग।
 9. निदेशक, ए०आई०पी०, योजना संवत्, लखनऊ का वित्त विभाग को वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।
 10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
उप सचिव।

225

Ar0(K)

प्रेषक,

वृन्द सरूप,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उ0प्र0।

विस्त (वित्तन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक: 22- दिसम्बर, 2011
विधय: वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर राज्य कर्मचारियों के लिये लागू सुनिश्चित
वेतन प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के संशोधन/सम्बन्धीकरण के सम्बन्ध में।

प्राप्त

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित वेतन प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था का प्राविधान शासनादेश संख्या-वे0310-2-561/दस-62(एन)/2008 दिनांक 04 मई 2010 द्वारा किया गया था। उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने में इति कठिनाइयों के निराकरण हेतु स्वीकरण शासनादेश संख्या-वे0310-2-3012/दस-62(एन)/2008 दिनांक 29 दिसम्बर 2010 एवं शासनादेश संख्या वे0310-2-788/दस-62(एन)/2008 दिनांक 30 मई 2011 निर्गत किये गये हैं।

उत्तरवर्ती के सम्बन्ध में सुझे आपसे यह कहने का निवेदन हुआ है कि राजकीय कर्मियों के लिये उपरोक्तानुसार लागू सुनिश्चित वेतन प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय से उक्त स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) राजकीय कर्मचारियों की ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 18 तथा 26 वर्ष की सेवा पर वित्तीय स्तरान्तरण अनुमत्य कराये जाने की लागू व्यवस्था के अन्तर्गत 10, 16 तथा 26 वर्ष की सेवा पर प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण के लाभ अनुमत्य कराये जायेंगे।

उक्त निर्णय के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 के प्रस्ताव-1(2)(i)(ख) एवं प्रस्ताव-3 (2) विलोपन संशोधित माने जायेंगे:-

- (i) प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमत्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर स्तरोन्नयन सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण एवं द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमत्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर स्तरोन्नयन सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण देय होगा।

परन्तु यदि सम्बन्धित कर्मिक को प्रोन्नति, प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के पूर्व अथवा पश्चात् प्राप्त होती है तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने पर प्रोन्नति के पर के आगल ग्रेड वेतन से आगल ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमत्य होगा।

- (ii) ऐसे कर्मिक, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा पर प्रथम प्रोन्नतीय/आगल वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमत्य हो चुका है, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमत्य होने की तिथि से 02 वर्ष की सेवा अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008,

86-1

741

जो भी बाय में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम प्रांतीय पद/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(द) ए०सी०पी० की व्यवस्था में द्वितीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन ₹० 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन ₹० 2000 को इंगोर किया जाएगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन ₹० 1900 का अगला ग्रेड वेतन ₹० 2400 माना जाएगा। उक्त शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 का प्रसार-1(3) इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

(e) ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु नौन पर्यवसन्न वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन को इंगोर किया जाएगा। उक्त शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 के प्रसार-1 (3) को संशोधित माना जाएगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे तथा उक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थाएँ यथावत प्रभावी रहेंगी।

नयदीया

(चन्द्र शर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या-ए०सी०-2-2144(1)/ए०सी०-62(ग)/2008ए०सी०, तदुद्दिष्ट प्रवृत्तियों निम्नलिखित को सूचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित

1. महालेख, कार, तालिका एवं हकूमत-1 एवं II तथा आदि- I एवं II, उपर्युक्त इतिहास।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. न.प्र.नि.स.स.स. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, एच.आर. एवं जन.कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, न.प्र.नि.स.स.स. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. उ०प्र० शिवालय के सचिव अं. मार्ग/इलाहाबाद अं. मार्ग।
9. निदेशक, ए०सी०आई०सी०, एच.आर. विभाग, योजना, मंत्रालय, लखनऊ को शासनादेश दिनांक 04 मई 2010 पर जाने जानें हों।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से।

(मनोज कुमार जोशी)

उप. सचिव।

12/3-2011

संख्या-वे03A10-2-253 / दस-62(एम) / 2008 टी0सी0

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) रामरत प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) रामरत विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2011

विषय:- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से सम्बन्धित विस्तृत व्यवस्था शासनादेश संख्या-वे03A10-2-561/दस-62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 द्वारा की गयी। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-2(1)(क) के परन्तुक में निम्न व्यवस्था उपलब्ध है :-

"किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोंनयन की अनुमन्यता हेतु सेवा अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।"

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 में ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने के उपरान्त पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन उच्चीकृत होने पर तत्कम में वेतनमान/ग्रेड वेतन की अनुमन्यता से सम्बन्धित स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। विभिन्न स्रोतों से उक्त बिन्दु पर स्पष्ट व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर-2(1)(क) के परन्तुक के नीचे निम्न परन्तुक जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

किसी पद पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोंनयन अनुमन्य होने के उपरान्त यदि पद का वेतन बैंड/ग्रेड वेतन उच्चीकृत/संशोधित होता है तो ऐसे उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से सम्बन्धित पद पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व से अनुमन्य वेतन बैंड/ग्रेड वेतन के स्थान पर, सम्बन्धित पद पर अनुमन्य

ERK मिश्र

21/2/11

9/3/11

DR. ERK

RICCRKJI
 प्रमाणित करिए एवं प्रमाणित करिए
 यत्न कीजिए A Rock
 दिनांक 8.3.11
 वय को धरे कर्षणी की।
 2 मई, 2011
 दायम
 अरुण
 अरुण

उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के आलोक में, उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

टिप्पणी— उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित कतिपय उदाहरण संलग्नक—(1) पर उपलब्ध है।

3— उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 04 मई, 2010 तथा तत्कम में जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रमुख सचिव

(अनूप मिश्र)


प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या—वेआ0-2-253 (1)/दस-62(एम)/2008, टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—I एवं II तथा (आडिट)— I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
- 3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4— महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
- 6— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
- 7— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 9— इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8— निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।
- 10— गार्डबुक।

आज्ञा से,



(नरेन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-वे0आ0-2- 253 /दस-62(एम)2008टी0सी0, दिनांक 17 फरवरी, 2011 का संलग्नक

उदाहरण-1

ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने के उपरान्त समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर अनुमन्य वेतन बैंड रू0 4440-7440 एवं ग्रेड वेतन रू0 1300/- के स्थान पर दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से संशोधित/ उच्चिकृत वेतन बैंड रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 1800/- अनुमन्य होने के फलस्वरूप पूर्व में अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में देय वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी :---

1-	समूह "घ" (अनुसेवक) के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 को अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 4440-7440 एवं रू0 1300/-
2-	दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को अनुसेवक "ए" को अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 4440-7440 एवं रू0 1300/-
3-	समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व	
	(i) अनुसेवक "बी" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 4440-7440 एवं रू0 1650/-
	(ii) अनुसेवक "सी" को द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200-20200 एवं रू0 1900/-
4-	ए0सी0पी0 के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से	
	(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 4440-7440 एवं रू0 1400/-
	(ii) अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200-20200 एवं रू0 1800/-
	(iii) अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200-20200 एवं रू0 2000/-
5-	दिनांक 08 सितम्बर, 2010 को समूह "घ" अनुसेवक के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चिकृत वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200-20200 एवं रू0 1800/-
6-	समूह "घ" अनुसेवक के पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चिकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से	
	(i) अनुसेवक "ए" को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के	रू0 5200-20200

(4)

	रूप में अनुमन्य संशोधित/उच्चिकृत वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	एवं रू0 1900/-
(ii)	अनुसेवक "बी" को द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200-20200 एवं रू0 2000/-
(iii)	अनुसेवक "सी" को तृतीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200-20200 एवं रू0 2400/-

उदाहरण-2

ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरान्णयन अनुमन्य होने के उपरान्त सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन बैंड रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- के स्थान पर दिनांक 27 नवम्बर, 2009 से संशोधित/उच्चिकृत वेतन बैंड रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- अनुमन्य होने के फलस्वरूप पूर्व में अनुमन्य वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में देय वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन की अनुमन्यता निम्नानुसार होगी :—

1--	सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 को निर्धारित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 5200-20200 एवं रू0 2800/-
2--	दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को सहायक समीक्षा अधिकारी "क" को अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन (पद हेतु निर्धारित)	रू0 5200-20200 एवं रू0 2800/-
3--	समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व	
	(i) सहायक समीक्षा अधिकारी "ख" को प्रथम वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 9300-34800 एवं रू0 4600/-
	(ii) सहायक समीक्षा अधिकारी "ग" को द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 9300-34800 एवं रू0 4800/-
4--	ए0सी0पी0 व्यवस्था के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 को सहायक समीक्षा अधिकारी के पदधारक	
	(i) "क" को प्रथम वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य अगला वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 9300-34800 एवं रू0 4200/-
	(ii) "ख" को द्वितीय वित्तीय स्तरान्णयन के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रू0 9300-34800 एवं रू0 4800/-

	(iii) "ग" को तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रु0 9300-34800 एवं रु0 5400/-
5-	दिनांक 27 नवम्बर, 2009 को सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर अनुमन्य संशोधित/उच्चिकृत वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रु0 9300-34800 एवं रु0 4200/-
6-	सहायक समीक्षा अधिकारी के पद का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन संशोधित/उच्चिकृत होने के फलस्वरूप दिनांक 27 नवम्बर, 2009 को सहायक समीक्षा अधिकारी	
	(i) "क" को प्रथम वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रु0 9300-34800 एवं रु0 4600/-
	(ii) "ख" को द्वितीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रु0 9300-34800 एवं रु0 4800/-
	(iii) "ग" को तृतीय वित्तीय स्तरान्तरण के रूप में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	रु0 9300-34800 एवं रु0 5400/-

पी0एस0यूपी0-ए0पी0 152 सा0 वित्त-23-2-2011-(2457)-5,000+2 प्रतियां (ऑफसेट)।